संख्या- 127/2021/1545/22-4-2021-48(42)/2021

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 27 दिसम्बर, 2021

विषय- प्रदेश की 20 कारागारों में हाई/लो वोल्टेज से बचाव हेतु 20 अद्द हैवी ड्यूटी स्टैब्लाजर की व्यवस्था कराये जाने हेतु क्रयानुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-106/2021/955/22-4-2021-48(42)/21, दिनांक-15 नवम्बर, 2021 एवं अपने पत्र संख्या-38712/आधु0-1/वांशिग मशीन/2021, दिनांक-13.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दिनांक-30.11.2021 में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त द्वितीय चरण में प्रदेश की 20 कारागारों क्रमशः केन्द्रीय कारागार बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी, आगरा, जिला कारागार गोरखपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, कानपुर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, बांदा, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ सीतापुर , वाराणसी में संचालित विद्युत व्यवस्था को हाई/लो वोल्टेज की समस्या से बचाव हेतु 500 केवीए क्षमता के 20 अद्द हैवी डयूटी स्टैब्लाइजर की व्यवस्था कराये जाने हेतु गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (जैम पोर्टल) पर क्रय किये जाने हेतु रू0 2,47,80,000/- मात्र (रूपये दो करोड़ सैंतालीस लाख अस्सी हजार मात्र) को मैसर्स टेक्योन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड , लखनऊ के पक्ष में उक्त सीमा तक कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं /सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर गयी हो ।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/ महानिरीक्षक कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणो की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(4) उपकरणो के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तगत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणो का क्रय न किया जाय ।

(5) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नही किया जायेगा ।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31-3-2022 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-127/2021/1545(1)/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
3- अनु सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in